

05.08.2024

पत्रावली पेशी में ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में
कोई कार्यवाही नहीं चाही जा रही है प्रकरण
243/2014 का है। वादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी
दिनांक 26.03.2024 को हिदायत दी गई कि आगामी
पेशी पर तलबी पूर्व रूप करवाई जावे। अन्यथा
प्रकरण स्वतः खारिज समझा जावेगा। वादी व
प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई।
आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन
उपस्थित नहीं आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के
उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम
पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Wanyan

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

